"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 281-स] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2006—कार्तिक 9, शक 1928

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दांऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-21/25-2/आजावि/06.—भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के भाग ख की कंडिका 4 की उपकण्डिका (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं ; अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ** —

(1) ये नियम "छत्तीसगढ़ आदिमजाति मंत्रणा परिषद् नियम, 2006" कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं—
इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "सभा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ विधान सभा ;
(ख) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, नियम 3 के अंतर्गत नियुक्त परिषद् का अध्यक्ष ;
(ग) "परिषद्" से अभिप्रेत है, नियम 3 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गठित आदिमजाति मंत्रणा परिषद् ;
(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;
(ङ) "सदस्य" से अभिप्रेत है, परिषद् के सदस्य ;
(च) "प्रस्ताव" से अभिप्रेत है, परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत किए गए मामले के विवरण और इसमें किसी प्रस्ताव का मूल प्रस्तावित और/या स्वीकृत संशोधन शामिल है ;
(ज) "सचिव" से अभिप्रेत है, परिषद् के सचिव और वे प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव या उप-सचिव जो भी पदाभिहित हों, होंगे ;
(छ) "आदिमजाति" से अभिप्रेत है, ऐसी जनजाति समुदाय, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित के रूप में अधिसूचित किया गया है.

3. परिषद् की रचना—
(1) छत्तीसगढ़ आदिमजाति मंत्रणा परिषद् में आदिमजाति विकास विभाग के प्रभारी मंत्री सहित 20 सदस्य रहेंगे, जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और उनमें से तीन चौथाई या 15 सदस्य विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों में से होंगे. छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री इस परिषद् के अध्यक्ष होंगे ;

(2) प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग इस परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेंगे ;

(3) परिषद् के लिए मनोनीत सदस्यों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे ;

4. पदावधि—
(1) नियम 5 एवं 6 के उपबंधों के अध्यधीन सभा के सदस्य जो परिषद् के लिए मनोनीत किए गए हैं ; उस समय तक परिषद् के सदस्य रहेंगे, जब तक कि वे सभा के सदस्य रहेंगे. अन्य सदस्य परिषद् में उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा उतनी अवधि के लिए जितनी कि राज्यपाल उचित समझें पद धारण करेंगे.

(2) उपनियम (1) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी परिषद् का सदस्य उस समय तक उसका सदस्य रह सकेगा, जब तक कि उसके स्थान पर किसी नए सदस्य का मनोनयन नहीं कर लिया जाता तथा उसे राजपत्र में अधिसूचित नहीं कर लिया जाता.

5. सदस्यों का त्यागपत्र—
अध्यक्ष को छोड़कर अन्य कोई भी सदस्य अध्यक्ष को त्यागपत्र लिखित रूप में किसी भी समय प्रस्तुत कर सकेगा, ऐसा त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा इसके स्वीकृत कर लिये जाने की तारीख से प्रभावशील होगा.

6. परिषद् में रिक्ति—
यदि अध्यक्ष के सिवाय अन्य कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना परिषद् की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहें तो परिषद् उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है.

7. रिक्त स्थानों की पूर्ति—
यदि परिषद् के किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो जाए तो उसे नियम 3 में उपबंधित रीति से भरा जाएगा.

8. परिषद् की बैठकें—
(1) परिषद् की बैठकें प्रति छः माह में साधारणतया एक बार अध्यक्ष द्वारा निश्चित किए गए स्थान पर और तारीख को होगी.

(2) अध्यक्ष, जब भी वह उचित समझे और परिषद् के कम से कम 5 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से मांग की जाने पर परिषद् की एक विशेष बैठक बुला सकेगा, सदस्यों द्वारा मांग की जाने पर बुलाई जाने वाली विशेष बैठक मांग पत्र के मिलने के 20 दिवस के भीतर बुलाई जाएगी.

(3) प्रत्येक सदस्य को सामान्य बैठक के लिए कम से कम पूरे 10 दिवस पूर्व तथा विशेष बैठक के लिए कम से कम पूरे 5 दिवस पूर्व सूचना दी जाएगी. सदस्यों की मांग पर बुलाई गई बैठक की सूचना में बैठक का स्थान, तारीख और समय सहित ऐसे बैठक को बुलाए जाने के कारण का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा.

9. **बैठक की अध्यक्षता—**

(1) परिषद् की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष, द्वारा किया जाएगा.

(2) यदि अध्यक्ष परिषद् की किसी बैठक में अनुपस्थित रहे तो सदस्यगण अपने में से किसी एक सदस्य को उस बैठक का अध्यक्ष प्रस्तावित करेंगे.

10. **गणपूर्ति—**

(1) परिषद् की गणपूर्ति अध्यक्ष सहित 5 सदस्यों से होगी. गणपूर्ति के बिना कोई भी कार्यवाही संपादित नहीं होगी.

(2) यदि किसी बैठक में किसी भी समय गणपूर्ति के लिए पर्याप्त सदस्य उपस्थित न रहे तो बैठक का अध्यक्ष उसे उस समय या तारीख के लिए स्थगित कर देगा, जैसा वह उचित समझे और उसकी घोषणा तत्काल बैठक में कर देगा. स्थगित बैठक का एजेण्डा आगामी बैठक में लिया जाएगा. ऐसे बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी.

(3) उस स्थगित बैठक से भिन्न अन्य मुद्दा सामान्यतया ऐसे बैठक के दौरान विचार के लिए नहीं लाया जाएगा.

11. **सचिव का दायित्व—**

सचिव बैठक के लिए निर्धारित एजेन्डा/कार्यवाही की जांच करेगा और उस पर अपना मत, यदि कोई हो तो, देगा. प्रत्येक मद के संबंध में दिया गया उसका मत बैठक में उस मद को विचारार्थ लेने के पहले परिषद् के समस्त सदस्यों को सूचनार्थ प्रसारित किया जाएगा.

12. **बैठक का संचालन—**

(1) बैठक की कार्यवाही में राज्य की अनुसूचित जनजाति के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे मामले जो परिषद् के अध्यक्ष/सदस्यों तथा शासन द्वारा प्रस्तावित किया जाए बैठक की कार्यवाही में शामिल किए जाएंगे तथापि राज्यपाल द्वारा निर्देश में प्रस्तावित मामले बैठक में अनिवार्यतः प्रस्तुत किए जाएंगे.

(2) बैठक बुलाने के लिए दी गई सूचना में जब तक किसी कार्यवाही और प्रस्ताव का उल्लेख न हो, तब तक किसी भी बैठक में न तो कोई कार्य संपादित किया जाएगा, न कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा और न ही उस पर कोई चर्चा की जाएगी. परंतु अध्यक्ष अपने विवेकानुसार किसी बैठक में ऐसा कोई कार्य संपादित करने अथवा ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति दे सकेगा, जो उसकी राय में आवश्यक स्वरूप का हो और जिसका उल्लेख उचित कारणवश उस बैठक की सूचना में न किया जा सका हो.

(3) बैठक में अध्यक्ष द्वारा निर्देशित क्रम से कार्य संपादित किया जाएगा परंतु यदि कोई सदस्य कार्य के किसी विशेष मद को प्राथम्य देना प्रस्तावित करें तो अध्यक्ष उस प्राथम्य प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत करेगा और उस प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में डाले गए मतों के बहुमत के आधार पर उस क्रम का निर्णय करेगा.

(4) परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किसी भी विषय पर परिषद् की मंत्रणा बहुमत द्वारा निश्चित की जाएगी परंतु बराबर-बराबर मत आने पर बैठक का अध्यक्ष निर्णायक मत देगा और तद्नुसार मामला विनिश्चित किया जाएगा.

(5) राज्यपाल द्वारा भेजे गए मामलों पर परिषद् के निर्णय और उसकी राय सिफारिशों के रूप में होंगे लेकिन कोई भी सदस्य परिषद् द्वारा स्वीकृत किसी भी सिफारिश के संबंध में 24 घंटे के भीतर एक असहमति टिप्पणी (प्रिनेन्ट आफ डिसेन्ट) प्रस्तुत कर सकेगा और उस टिप्पणी को बैठक की कार्यवाही में शामिल किया जाएगा तथा उसे बैठक की कार्यवाही का ही अंग माना जाएगा.

(6) परिषद् की बैठकों में बाहरी व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी.

13. **विचार विमर्श का विस्तार वाद-विवाद परिसीमा—**
परिषद् की कार्यवाही यथासंभव उसी प्रकार चलाई जावेगी, जिस प्रकार कि विधान सभा की कार्यवाही चलाई जाती है. कोई भी सदस्य अपने भाषण के दौरान में :-

(1) ऐसे किसी भी विषय या तथ्य का उल्लेख नहीं करेगा, जिस पर न्यायिक निर्णय दिया जाने वाला हो.

(2) परिषद् तथा विधान सभा अथवा राज्य सभा अथवा लोक सभा के किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत अनुचित लांछन नहीं लगाएगा.

(3) रोषपूर्ण भाषा का उपयोग नहीं करेगा.

(4) भारत के राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल अथवा संघ या राज्य के किसी मंत्री अथवा न्यायिक कार्य करने वाले किसी न्यायालय के आचरण पर कटाक्ष नहीं करेगा.

(5) राजद्रोहात्मक अथवा मानहानिकारक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा.

(6) बैठक की कार्यवाही में जानबूझ कर और लगातार बाधा डालने की दृष्टि से अपने भाषण के अधिकार का उपयोग नहीं करेगा.

14. **अध्यक्ष की शक्तियां—**
नियम 12 के उप नियम (6) में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष परिषद् के सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को परिषद् की बैठक में अभिभाषण करने या उनमें शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं होगा.

15. **रिक्त स्थान का परिषद् की कार्यवाही में प्रभाव—**
परिषद् में कोई खाली स्थान रहने अथवा सदस्यों के मनोनयन में कोई त्रुटि या अनियमितता हो जाने के आधार पर बैठक की कार्यवाही के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई जाएगी.

16. **यात्रा भत्ता—**

(1) परिषद् के सदस्य मूलभूत नियम, ग्रन्थ-दो के परिशिष्ट-5 के अनुपूरक नियम, 136 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा पारित किए जाने वाले आदेशों के अनुसार अथवा किसी सदस्य विशेष के बारे में लागू होने वाले ऐसे अन्य नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता पाने के हकदार होंगे.

(2) उपरोक्त उप नियम (1) के बावजूद भी यदि किसी सदस्य ने किसी अन्य हैसियत से किसी यात्रा के लिए सरकारी खजाने से यात्रा भत्ता प्राप्त किया हो तो वह उक्त उपनियम के अंतर्गत यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा.

17. **विविध—**
परिषद् द्वारा पारित सभी संकल्प असहमति टिप्पणी सहित, यदि कोई हो तो तथा परिषद् के अन्य कोई पत्रादि राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए परिषद् के सचिव द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग को भेजे जाएंगे.

Raipur, the 31st October 2006

NOTIFICATION

No. F-1-21/25-2/TWD/06.—In exercise of powers conferred under Sub-para (3) of para 4 of part-B of Schedule 5 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules, namely :-

RULES

1. **Short Title, Extent and Commencement—**

(1) These rules may be called the "Chhattisgarh Tribal Advisory Council Rules-2006".

(2) It extends the whole state of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. **Definitions—**
In these rules, unless the context otherwise requires :

(a) "Assembly" means the legislative assembly of the state of Chhattisgarh ;

(b) "Chairperson" means the chairperson of the Tribal Advisory Council appointed under the provisions of Section-3 ;

(c) "Council" means the Tribal Advisory Council constituted under rule-3 ;

(d) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh ;

(e) "Member" means a sitting member of the Chhattisgarh Tribal Advisory Council ;

(f) "Proposal" means matter put under the consideration of the council and this shall also include proposals in original and/or with approved amendments ;

(g) "Secretary" means the secretary of the council and his may be Principal Secretary, Secretary, Special Secretary, Joint Secretary or Deputy Secretary who ever is designated ;

(h) "Tribal" means member of such tribal communities that are notified as scheduled under Article 342 of the Consitution of India.

3. **Set up of the Council—**

(1) Chhattisgarh Tribal Advisory Council shall consist of 20 members, who shall be nominated by the Governor. 3/4th or 15 members shall be nominated from the representatives of the Scheduled Tribes in the Assembly. The Chief Minister of Chhattisgarh shall be the chairperson of the Council.

(2) Principal Secretary/Secretary, Govt. of Chhattisgarh Department of Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development Department shall function as the secretary of the Council.

(3) Names of the members nominated to the Council shall be notified in the official gazette.

4. **Tenure--**

(1) Representatives of the Scheduled Tribes in the Assembly, who are nominated as member of the Council, subject to rule 5 and 6, shall be members of the council till they cease to be members of the Assembly. Other members shall hold office for a period of one year from the date of nomination or for such period as the Governor deems fit.

(2) A member of the Council can remain in office till a new member is nominated in his place and the same in notified in the official gazette, notwithstanding anything, the term prescribed in sub rule (1).

5. **Resignation of Members—**
Any member, except the Chairperson shall submit his resignation in writing to the Chairperson assigning reasons and such resignations shall be effective from the date of acceptance by the Chairperson.

6. **Vacancy in the Council--**
If a member, except the Chairperson remains absent in three consecutive meetings of the Council without any information and permission, the Chairperson may declare that seat fallen vacant.

7. **Filling up of vacant seats—**
If any seat lies vacant, it shall be filled up as per provision of rule-3.

8. Meeting of the Council—

(1) Meeting of the Council shall normally be held every six months as per the venue and date decided and intimated by the Chairperson.

(2) The Chairperson shall convene special meeting of the Council at his discretion or if demanded so in writing by a minimum of 5 members Meetings convened by the demand of members shall be convened within 20 days of receiving such written demands.

(3) Each member shall be intimated in a minimum reasonable period of 10 days in advance in case of normal meetings and 5 days in case of emergency meetings. Notice for meeting convened on demand of members shall early mention the reason for convening such meeting, alongwith the venue, date, time and agenda of the meeting.

9. President of the Meeting —

(1) The meeting of the Council shall be presided over by the Chairperson.

(2) In the absence of the Chairperson, the members shall propose one member from amongst themselves to preside over the meeting.

10. Quorum—

(1) The quorum of the Council shall be 5 including the Chairperson. No proceedings shall take place if the quorum is not fulfilled.

(2) If a meeting cannot be held for want of quorum, it shall be postponed to a later date and venue as deemed fit and the president of the meeting shall make an announcement to this effect immediately. Agenda of the adjourned meeting shall be taken up in the next meeting. There shall be no required quorum for such meetings.

(3) No other issue other than those of the postponed meeting shall normally be taken up for discussion during such meetings.

11. Responsibilities of the Secretary—

The Secretary of the Council shall examine the agenda/proceedings of meetings and shall give his opinion if any in each item and the same shall be circulated among the members in advance before such being taken up for discussion in the meeting.

12. Conducting the meeting—

(1) Such issues as proposed by the Chairperson/members and government that focus on the welfare and upliftment of the Scheduled Tribes shall be included in the proceedings of the meeting ; however, issues proposed in this direction by the Governor shall indispensabily be presented in the meeting.

(2) No issue shall taken up for discussion and included in the proceedings and no proposals shall be passed in a meeting unless the issue has been mentioned in the notice for the meeting, however, the Chairperson can, using his discretion, permit such issues to be taken up for proceedings, that he thinks necessary and are in the direction of the motto of the council at large but was excluded in the notice.

(3) Issues shall be taken up for discussion on priority basis as decided by the Chairperson, however, if any member proposes to attach priority to any particular issue, such shall be put up for voting and shall be decided upon majority of opinion drawn in favour or against it.

(4) the decision of the Council shall either be unanimous or by majority of opinion of the members present in the meeting. In case threre is a division of opinion in equal on any decision, the Chairperson can cost his vote and decide the matter accordingly.

(5) Decisions on issued proposed by the Governor shall be in the form of recommendation of the council, however, if any member disagrees to such recommendations, he shall submit his dissent in written within 2 hours of such recommendations being made and such dissents shall be treated as a part of the proceedings of the meeting.

(6) No outsiders shall be permitted to attend the meetings of the Council.

13. Extend of debate—

Proceedings of the meeting shall be conducted, as far as possible, on the footsteps of the legislative assembly, and no member shall, during his speech ;

(1) mention any issue which is awaiting judicial decision.

(2) raise any improper and personal allegations against any member of the Council, Assembly or the Parliament.

(3) make use of contemptuous language.

(4) comment on the counduct of the President of India, Governors of any state or any minister of the states of the union cabinet or against any court.

(5) make use of derogatory and insurgent terms.

(6) make use of his right to speech to deliberately create obstruction in the meetings.

14. Powers of the Chairperson—

The Chairperson, despite the provisions in sub section 6 of section 12, can invite any outside person to attend or deliver a speech in the meetings of the Council, however such persons shall not have the power to vote.

15. Effect of vacant seats in the proceedings of the meetings—

No member shall raise objection in the proceedings of the meeting with respect to any seat of the council being vacant, any flaws or malpractice in the nomination of members.

16. Travel Allowance—

(1) Members shall be entitled to avail travel allowance subject to norms prescribed by orders of the Governor under section 136 of Annexure 5 of the fundamental Rules, Book-II or subject to any other relevant provisions applicable to him.

(2) No member shall be entitled to avail Travel Allowance from the Council despite sub rule-1 above, in case he has availedany travel allowance from the government fund at any other capacity for the purpose of the Council.

17. Miscellaneous—

The Secretary of the council shall submit all decisions taken by the Council along with comments if any or any other correspondence of the council to Principal Secretary/Secretary, Govt. of Chhattisgarh, ST and SC Development Department for being submitted to the Governor.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओमेगा युनाईस टोप्पो, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित––2006.